

03/2025

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2-

संख्या-82/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-273-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(340)-2025

लखनऊ: दिनांक: 13-02-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1635/ग्यारह-9(47)/17-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(69)-2017 दिनांक 02 नवम्बर, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में "शब्द और प्रतीक"

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या समान प्रकार की योजना में पूर्ति के लिए फोटिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" की समाप्ति के पश्चात शब्द और प्रतीक "ग उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट" बढ़ा दिये जायेंगे।

2- यह अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

Signed by

(एम० देवराज)
M Devaraj
सचिव

Date: 13-02-2025 12:23:33